अध्याय 1

औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रम (आईआरडीपीपी)

1.0 उद्देश्य

1.1 सम्मिलित क्षेत्र

1.2 उद्योग में संस्थागत अनुसंधान और विकास

1.3 वैज्ञनिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (साइरोज)

1.4 वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

1.4.1 स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास भत्ता

1.4.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(3) के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय का संदर्भ

1.4.3 मान्यता प्राप्त और पंजीकृत साइरोज को सीमा शुल्क में छूट

1.4.4 मान्यता प्राप्त और पंजीकृत साइरोज को रियायती जीएसटी

1.4.5 मान्यता प्राप्त और पंजीकृत संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों को सीमा शुल्क में छूट और रियायती जीएसटी लाभ

1.4.6 मान्यता प्राप्त आरएंडडी इकाइयों द्वारा प्राप्त अन्य लाभ

1.4.7 सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, आदि का पंजीकरण

1.4.8 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2एबी) के अंतर्गत संस्थागत अनुसंधान और विकास केंद्रों का अनुमोदन

औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रम (आईआरडीपीपी)

1.0 उद्देश्य

औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) संस्थागत अनुसंधान और विकास पर कड़ी दृष्टि रखना;

(ii) उद्योग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (साइरोज) में अनुसंधान और विकास अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण;

(iii) उद्योग और साइरोज की अनुसंधान और विकास शुरूआतों को बढ़ावा देना;

(iv) यह सुनिश्चित करना कि संस्थागत अनुसंधान और विकास केन्द्रों तथा साइरोज द्वारा दिया गया योगदान प्रौद्योगिकीय और औद्योगिक विकास के समग्र परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त रूप से सामंजस्यपूर्ण हो।

1.1 सम्मिलित क्षेत्र

घटक स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए विशिष्ट क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

उद्योग में संस्थागत अनुसंधान एवं विकास

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (साइरोज) और

वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियां और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

1.2 उद्योग में संस्थागत अनुसंधान एवं विकास

1.2.1 संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को मान्यता

देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सुदृढ़ अवसंरचना का सृजन किया गया है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया है, जो सतत रूप से उद्योगों को विशेषज्ञता, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति एवं प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान कराते रहे हैं। समय-समय पर उद्योग की बदलती हुई औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं। सरकार उद्योगों में औद्योगिक अनुसंधान के संवर्धन एवं सहायता देने पर विशेष ध्यान देती रही है। अनेक कर संबंधी प्रोत्साहन भी मुहैया कराए गए हैं, जो औद्योगिक इकाइयों को अपनी संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयां स्थापित करने प्रोत्साहन देने के साथ-साथ वित्तीय दृष्टि से भी आकर्षित करते हैं।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग द्वारा उद्योग में संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को मान्यता देने संबंधी एक स्कीम चलाई जा रही है और प्रौद्योगिकीय आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों को कई प्रोत्साहन और समर्थन उपाय भी सुलभ कराए गए हैं। 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू करने से पूर्व) वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अंतर्गत जारी आधारभूत अधिसूचनाओं में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। इन संशोधनों के अनुसार, अस्पतालों के अलावा डीएसआईआर से मान्यताप्राप्त सभी संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयां अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अपनी अधिप्राप्तियों पर (01 जुलाई, 2017 जीएसटी लागू करने से पूर्व) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त कर सकती हैं।

मान्यता के लिए अर्हताप्राप्त संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे फर्म के व्यापार के अनुरूप नई प्रौद्योगिकियों के विकास, अभिकल्पन एवं इंजीनियरी, प्रक्रिया/उत्पाद/अभिकल्पन में सुधार, विश्लेषण एवं परीक्षण पद्धतियों की नई पद्धतियों का विकास करने पूंजीगत उपकरण, सामग्री एवं ऊर्जा जैसे संसाधनों के उपयोग में अधिक दक्षता के लिए अनुसंधान प्रदूषण नियंत्रण, बहिस्त्राव उपचार और अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर कार्य करती रहेंगी।

यह अपेक्षा की जाती है कि फर्म की ये अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां उसकी उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसी नेमी स्वरूप की गतिविधियों से भिन्न होंगी। संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के पास अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए अलग स्टाफ होना चाहिए और इकाई के आकार के अनुसार इनका एक पूर्णकालिक अनुसंधान एवं विकास प्रबंधक होना चाहिए, जिसकी सीधी पहुंच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा निदेशक मंडल तक हो। संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों से यह भी आशा की जाती है कि उनका अपना अलग पहचान योग्य ढांचा होगा और अनुसंधान एवं विकास लेखों का अलग से रखरखाव करेंगे।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की संख्या में सतत् रूप से वृद्धि हुई है। यह संख्या 1973 में लगभग 100 से बढ़कर 1975 में लगभग 275 हो गई, 1980 में यह बढ़कर 700 से अधिक हो गई, 1985 तक यह लगभग 925 हो गई, 1990 में 1100 से अधिक और 1995 में 1200 से ऊपर पहुंच गई और तत्पश्चात् यह संख्या 1200 से 1250 के बीच में रही; मार्च, 2010 में यह 1361; दिसम्बर, 2011 में 1618; और दिसम्बर, 2012 में 1767, दिसम्बर, 2013 में 1797 और दिसम्बर, 2014 में 1762, दिसम्बर, 2015 में 1800, दिसम्बर 2016 में 1900, नवम्बर, 2017 में 1997 और नवम्बर, 2018 में 2052 हो गई। इनमें से लगभग 1700 इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं और शेष सार्वजनिक/युक्त क्षेत्र में हैं। अंतिम अद्यतित मान्यताप्राप्त संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की एक निर्देशिका' दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित की गई थी। इस निर्देशिका में 1996 मान्यताप्राप्त संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों की सूची है, जिसमें कंपनी की पंजीकरण संख्या, नाम और पत्राचार का पता, स्थान, जहां संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाई स्थित है तथा डीएसआईआर द्वारा मान्यता की वैधता भी दर्शायी गई है।

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमवृति के संवर्धन के लिए, डीएसआईआर ने जुलाई, 2015 से ऊष्मायन केन्द्रों अथवा प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थापित बायोटेक स्टार्ट-अपों को अल्पावधि के लिए नई मान्यता प्रदान करने हेतु कम्पनी की विद्यमानता में 3 वर्षों की छूट की घोषणा की है। डीएसआईआर, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्ट-अप कम्पनियों से प्राप्त आवेदनों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), जो नोडल विभाग है, को देश में जैव-प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए उसके विचार तथा टिप्पणियों के लिए भेजता है। डीबीटी से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर तथा छूट संबंधी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन आवेदनों पर मान्यता प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है।

स्कीमों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश, विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में प्राप्त आवेदनों की पूर्ण रूप से भरे होने की जांच की जाती है और तत्पश्चात् विभिन्न अन्य विभागों, एजेंसियों, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों, एमएसएमई,सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, सीसीआरएएस, डीबीटी, डीसी एंड पीसी, दूर-संचार विभाग, डीआरडीओ, डीआईटी, डीओपी और एनआरडीसी को टिप्पणी के लिए परिचालित किया जाता है। मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक उद्योग को डीएसआईआर में प्रस्तुतीकरण देने तथा विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है तथा विशेषज्ञों के एक दल और डीएसआईआर के प्रतिनिधियों द्वारा दौरा किया जा सकता है। बाहरी एजेंसियों से टिप्पणियों, दौरा रिपोर्टों तथा विभाग के निजी मूल्यांकन सहित इन आवेदनों पर सचिव, डीएसआईआर द्वारा गठित एक अंतर-विभागीय जांच समिति द्वारा विचार किया जाता है। आवेदनों पर विचार-विमर्श करने तथा सचिव, डीएसआईआर को सिफारिश करने के लिए इस समिति की बैठक प्रत्येक माह होती है।

डीएसआईआर द्वारा संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों की मान्यता को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(2एबी) के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्योग की प्राथमिक आवश्यकता के रूप में समझा जाता है कम्पनी की अनुसंधान और विकास गतिविधियों सुपरिभाषित किया जाना चाहिए और उन्हें को वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा संबंधी गतिविधियों से अलग रखना चाहिए।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, जांच समिति की 15 बैठकें आयोजित की गईं। मान्यता के लिए प्राप्त 388 आवेदनों में से 372 आवेदनों पर जांच समिति द्वारा विचार किया गया। संतोषजनक अनुसंधान और विकास अवसंरचना, अर्हता प्राप्त जन शक्ति और कार्यक्रमों के आधार पर 234 अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को नई मान्यता दी गई। संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को मान्यता प्रदान करने के लिए माह वार प्राप्त आवेदनों तथा निपटान और मान्यता के लिए लंबित आवेदनों का विवरण **अनुबंध 1** में दिया गया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों के प्रमुखों/प्रतिनिधियों के साथ 364 से अधिक चर्चाएं/बैठकें आयोजित की गईं। विशेषज्ञ दलों ने बहुत सी संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों का दौरा भी किया।

1.2.2 मान्यता का नवीकरण

संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को डीएसआईआर द्वारा 2 से 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्यता दी जाती है। विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की कम्पनियों को यह सलाह दी जाती है कि वे मान्यता के नवीकरण के लिए काफी समय पहले (मान्यता की अवधि समाप्त होने से 3 महीने पूर्व) आवेदन करें। इन आवेदनों पर डीएसआईआर में सचिव डीएसआईआर द्वारा गठित अनुसंधान और समीक्षा समूह

(आरआरजी) द्वारा जांच की जाती है जिसमें सीएसआईआर, एनआरडीसी, डीएसआईआर और डीएसटी के अधिकारी शामिल होते हैं। आरआरजी उद्योग के आरएंडडी केन्द्रों के संतोषजनक आरएंडडी निष्पादन पर आधारित मान्यता के नवीकरण के लिए सिफारिश को ध्यान में रखता है, क्योंकि पिछली मान्यता आरएंडडी सूचकों जैसे आरएंडडी व्यय, आरएंडडी परिसंपत्तियों, आरएंडडी जनशक्ति, आरएंडडी उपलब्धियों (नए विकसित उत्पाद और प्रक्रिया, वाणिज्यीकृत प्रौद्योगिकियों, दायर किए गए पेटेंट, प्रकाशित अनुसंधान पेपर आदि) तथा चलाए जा रहे और भावी कार्यक्रमों पर आधारित होती है। यदाकदा आरआरजी, उद्योगों से उनकी आरएंडडी गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्पष्टीकरण/सुझाव भी मांगते हैं। उद्योगों से आवश्यक सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऐसे मामलों, जिन्हें डीएसआईआर की मान्यता प्रदान की गई है, की मान्यता के मामलों के नवीकरण पर विचार किया जाता है।

पहली अपैल, 2018 की स्थिति के अनुसार, 666 संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की मान्यताओं का नवीकरण देय हो गया था, जिनमें से 606 आवेदन प्राप्त हुए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, अनुसंधान समीक्षा समूह (आरआरजी) की 7 बार बैठकें हुईं। अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर 601 अनुसंधान तथा विकास इकाइयों की मान्यताओं का नवीकरण किया गया। 60 कंपनियों की मान्यता का नवीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि या तो उनसे आवेदन प्राप्त नही हुए थे अथवा उनका अनुसंधान और विकास का निष्पादन अपेक्षित स्तर का नहीं था। कुल 05 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान और विकास इकाइयों की मान्यताओं के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों, उनके निपटान और लंबित मामलों का माह-वार विवरण **अनुबंध 2** में दिया गया है।

1.2.3. अनुसंधान एवं विकास व्यय

उद्योग में संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों द्वारा किए जाने वाले व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 के दौरान यह व्यय लगभग ₹ 300.00 करोड़ था। वर्ष 1985-86 के दौरान यह व्यय ₹ 500.00 करोड़ तक पहुंच गया। अनुमान है कि 2052 मान्यताप्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों का वर्तमान आरएंडडी व्यय लगभग ₹ 40,000.00 करोड़ प्रति वर्ष है। इस व्यय में सार्वजनिक क्षेत्रों और संयुक्त क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 20% तथा निजी क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 80% है। इन 2052 मान्तप्राप्त संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाईयों में से प्रत्येक 120 इकाइयों ने अनुसंधान एवं विकास पर प्रतिवर्ष ₹ 5000.00 लाख से अधिक राशि खर्च की, 448 इकाइयों ने अनुसंधान और विकास पर ₹ 200.00 लाख से ₹ 500.00 लाख के बीच प्रतिवर्ष व्यय किया। इन अनुसंधान एवं विकास इकाईयों की सूची क्रमशः **अनुबंध 3, अनुबंध 4 और 5** पर दी गई है।

1.2.4. अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

संस्थागत आरएंडडी केन्द्रों ने अत्याधुनिक अभिकल्पन एवं अनुरूपण सुविधाओं प्रोटोटाइप, वैधता और परीक्षण सुविधाओं का सृजन किया है ताकि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रमाणों के साथ विनियामक अपेक्षाओं और अनुपालन को पूरा किया जा सके।

संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की प्रयोगशालाएं अपने अनुसंधान कार्यकलापों को करने के लिए परिष्कृत उपस्करों और सॉफ्टवेयरों से सुविधायुक्त हैं।

प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं: एनीकोइक कक्ष, गैस क्रोमैटोग्राफ, एनएमआर एसएफसी विश्लेषक, ओजोन कक्ष, काउंटरों सहित बहु-अक्षीय कंपन परीक्षण बैंच, क्रायोजेनिक परीक्षण कक्ष (-196°c तक), तापीय कक्ष (540°c तक), प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी, डिजिटीय भंडारण दोलनदर्शी, डीप फ्रीजर (-20°c), यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उत्सर्जन विश्लेषण, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर-बीडीएस, उच्च चाप सजातीयक - DeBee 45-1, फोटो-स्टेबिलिटी कक्ष, त्वरित मौसमी परीक्षण, एफएफटी एनालाइजर, सीएडी-सीएएम सुविधाएं, रैपिड प्रोटोटाइप निर्माण मशीनें, सीएनसी मशीनें।

1.2.5. अनुसंधान एवं विकास जनशक्ति

संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाईयों द्वारा नियोजित अनुसंधान एवं विकास कर्मियों की संख्या में सतत् रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 1975-76 तक मान्यताप्राप्त संस्थागत इकाईयों में लगभग 12,000 अनुसंधान एवं विकास कर्मी कार्यरत थे। वर्ष 1981-82 तक यह संख्या बढ़कर 30,000 हो गई थी। इस समय **2052** संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाईयों में अनुमानतः 1,80,000 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

1.2.6. संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाईयों की उपलब्धियां

मान्यताप्राप्त संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों द्वारा सूचित की गई अनुसंधान और विकास संबंधी कुछ उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

कृषि विज्ञान :

- फसलों जैसे - धान, बाजरा, ज्वार, स्वीट कॉर्न, सब्जियाँ जैसे टमाटर, मिर्च और भिंडी की अधिसूचित किस्मों का विकास।

- प्रजनन चक्र अवधि को छोटा करने के लिए ककड़ी, पत्ता गोभी, फूलगोभी और गर्म मिर्च में दोहरी अगुणित प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनब्रेड लाइनों का विकास।
- चावल और सरसों के संकर का विकास
- कपास संकर उत्पादन के लिए जीएमएस (आनुवंशिक पूंजातीय बॉझपन) प्रौद्योगिकी का विकास।
- कीट प्रतिरोध और वायरस प्रतिरोध जैसे लक्षणों के लिए कपास, चावल, बैंगन, ओकरा और कसावा में ट्रांसजेनिकी का विकास

जैविक/जैव-चिकित्सा विज्ञान/फार्मास्यूटिकल्स :

- बेसिफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, लाइनजोलिडल, डायड्रोजेस्टरोन और यूलिप्रिस्टल को तैयार करने के लिए एक नई प्रक्रिया का विकास
- सेराटियोपेप्टिडेस की प्रक्रिया अनुकूलन का विकास
- अर्ध संश्लेषित आर्टेमिसिनिन की प्रक्रिया का विकास
- वेलपटासवीर (हेपेटाइटिस सी वायरस अवरोधक), कैबीजिटैक्सेल (एंटिनियोप्लास्टिक), अफैटिनीब (एंटिनियोप्लास्टिक), इब्रुटिनिब (एंटिनियोप्लास्टिक), कारफिल्जोमिब (एंटिनियोप्लास्टिक) का विकास
- एप्रीप्राजोल, बुमेटेनाइड, बेंडामैस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड, रासागिलीन एल-हेमीटार्टेट के जैसे एपीआई के संश्लेषण के लिए प्रक्रिया का विकास और प्रतिस्थापित 2-(2-पाइरीडाइलमिथो युलसल्फाइन) -1-एच-बैंजिमिड एजोल के लिए संश्लेषण प्रक्रिया का विकास और विकास के तरीकों जैसे एपीआई के संश्लेषण के लिए प्रक्रिया का विकास और इंडो सिनाइन ग्रीन, इंडिगो कारमाइन, मैथाइलिन ब्लू आदि तैयार करने की पद्धति का विकास।
- स्थिर जल प्रसार योग्य वाले ल्यूटिन बीडलेट्स, बीटाक्रीप्टोक्सानथिनबीडलेट्स, कैप्सिमैक्सबीडलेट्स, ल्यूटिन इनकैप्सुलेशन की प्रक्रिया का विकास
- विलायक मुक्त प्रक्रिया फॉरकरक्युमिन स्प्रे शुष्क पाउडर का विकास
- एक पारदर्शी हाइड्रोजेल घाव पट्टी का विकास जिसमें संक्रमित घावों का उपचार करने के लिए रजत नैनोपार्टिकल्स होते हैं।
- प्रोटीन, जैसे टॉसीलिजुमाब, उस्तेकिनुमाब, संलयन प्रोटीन एफ्लीबर्सेप्ट और एक पेप्टाइड, टेरिपैराटाइड की अभिव्यक्ति प्रक्रिया का विकास।
- डिस्पोजेबल इंसुलिन संचालन उपकरण का विकास।
- ग्लैटीरैमेर एसीटेट, लिपोसोमल डॉक्सोरूबिसिन, लैंथेनम कार्बोनेट और ओरल सस्पेंशन की प्रक्रिया का विकास।

रासायनिक विज्ञान:

- पप्रैटीलाक्लोर, थियामेथोक्साम, फ्लुओपीकोलाइड, ऑक्साडायरजिल की प्रक्रिया का विकास
- फिनोलोक्सा संश्लेषण और विलगन की नई प्रक्रियाओं का विकास।
- क्लैथोडियम, फेन्बुकोनाजोल, प्रोपीकोनाजोल, बुप्रोफेजिन, मेटोब्रोमुरन, फ्यूसिफ्लेक्स 250 एमई जैसे नए उत्पादों का विकास
- एन-पैराफिन और ओलेफिन के पृथक्करण की प्रक्रिया का विकास
- कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और उपयोग करने की प्रक्रिया का विकास
- पीपी गैस चरण में प्रभाव बहुलक के उत्पादन के लिए प्रिपोलीमराइजेशन प्रौद्योगिकी का विकास।
- पोलीओलिफिन के निर्माण में इस्तेमाल के लिए एक उत्प्रेरक के संश्लेषण के लिए एक अर्ध सतत् प्रक्रिया का विकास।
- प्रोपिलीन पोलीमराइजेशन उत्प्रेरक प्रणाली का विकास।
- एक इलेक्ट्रोफिलिक फ्लुओरिनेटिंग अभिकर्मक का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास।
- कृषि रासायनिक मध्यवर्ती का उत्पादन करने की प्रक्रिया का विकास।
- पारदर्शी अवरोध फिल्म का विकास।
- भेषज ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण की प्रौद्योगिकी का विकास।
- अल्प तेल अवशोषक बेसन का विकास, जो तलने के लिए उपयोग किए जाने पर 20% तक कम तेल का उपयोग करता है।
- चीनी-टाटा एनएक्स के एक नए रूप का विकास
- बासल अनुप्रयोग के लिए अनुकूलित उर्वरक (सीएफ) का विकास

इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी:

- मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन प्रणाली II का विकास
- मोबाइल बीटीएस IV और सामरिक स्विच (ULSB MKIII) के लिए वसत VSAT उपकरण का विकास।

- फिनाकल एनालिटिक्स सॉल्यूशन 3.0, फिनाकल ट्रेजरी अ11.3.3, फिनाकल ट्रेड कनेक्ट -फिनाकल मोबाइल टेलर, फिनाकल यूबीएस v11.4 से 11.6, फिनाकल एंटरप्राइज पेमेंट्स वर्जन 11.5 और फिनाकल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग v11.2.x से 11.5 का विकास
- सिंगल पीस विंड स्क्रीन का विकास
- कैंटिलीवर टाइप सीट माउंटिंग का विकास
- स्वदेशी वॉटरजेट प्रोपल्शन सिस्टम का विकास
- रेल-रहित हैलो ट्रावर्सिंग प्रणाली का विकास
- उच्च आवृत्ति सम्मिश्र सोनार गुंबद का विकास
- तापदीप्त और पुष्पित के हल्के स्त्रोत से ठोस अवस्था तक प्रकाश स्रोत की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के लिए नई प्रक्रियाओं का विकास
- निरंतर किण्वन प्रौद्योगिकी और स्पैनहिलेटोर्किनेस इंटिनरेशन सिस्टम का विकास
- नए कार्बन ब्लैक रिएक्टर का विकास, जो दहन क्षमता में सुधार करता है और पराभव में वृद्धि करता है
- बीएस 6 उत्सर्जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डीजल इंजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी का विकास
- ग्राहक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी का विकास
- BS6 उत्सर्जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गैसोलीन इंजन का विकास
- ग्राहक विशिष्ट त्वरक पैडल मॉड्यूल का विकास (गैर संपर्क रूप में)
- ईंधन दक्षता स्पार्क प्लग विकास और दुपहिए के लिए ड्राइविंग योग्य स्पार्क प्लग का विकास
- 2000 बार अनुप्रयोग के लिए सामान्य रेल का विकास
- उच्च दक्षता फिल्टर मीडिया का विकास
- 26W BLDC सीलिंग फैन और तापमान और आर्द्रता संवेदन के आधार पर स्मार्ट एल्गोरिदम सहित एक कनेक्टेड ऐप नियंत्रित IoT फैन का विकास

1.2.7 संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों द्वारा किए गए आयात

मान्यता प्राप्त संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों ने अपनी आरएंडडी गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों, संदर्भ मानकों का आयात किया है। इनमें शामिल हैं: एचपीएलसी, एफटीआईआर, एलसीएमएस, गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री (जीसीएमएस), लॉन्ग सीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, निर्वात लौह भट्टी, 5- एक्सिस मिलिंग, वर्टिकल सीएनसी मिलिंग, हॉरिजॉन्टल सीएनसी खराद, रंगीन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, होमोजेनाइजर, हीटिंग बाथ सर्कुलेटर, रोटोवेपर, अवरक्त रंजक मशीन आदि।

1.3. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (साइरोज)

1.3.1 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (साइरोज) को मान्यता

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (साइरोज) को मान्यता प्रदान करने के लिए 1988 से एक योजना प्रारम्भ की थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त और पंजीकृत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन अधिसूचना संख्या 51/96-कस्टम दिनांक 23.7.1996 अधिसूचना सं. 24/2007-सीमा शुल्क दिनांक 01.03.2007 तथा अधिसूचना सं. 43/2017 सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 द्वारा यथासंशोधित और 10/97-केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 1.3.1997 यथासंशोधित अधिसूचना सं. 09/2017-केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 30.06.2017 की शर्तों के अनुसार सीमा शुल्क छूट और उत्पाद शुल्क छूट के पात्र होते हैं।

डीएसआईआर ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों को मान्यता प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन योजना के अंतर्गत मान्यताप्राप्त करने की कार्यविधि का विस्तृत विवरण और आवेदन प्रपत्र दिया गया है। जिन कार्यात्मक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों के पास व्यापक आधार वाला शासी निकाय, अनुसंधान सलाहकार समिति, अनुसंधान कार्मिक, अनुसंधान के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं, स्पष्ट रूप से परिभाषित, समयबद्ध अनुसंधान कार्यक्रम और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के स्पष्ट उद्देश्य हों, उन्हें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र समझा जाता है। अतिरिक्त निधि का निवेश, जिसकी तत्काल अनुसंधान के लिए आवश्यकता नहीं है, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किया जाना चाहिए।

डीएसआईआर में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदनों पर एक अर्न्तविभागीय जांच समिति विचार करती है। इस समिति में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएसएसआर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सदस्य होते हैं। इस जांच समिति की संस्तुतियों को सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। यह मान्यता जांच समिति की बैठक की तारीख से प्रभावी होती है। पूर्व प्रभाव से अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है।

दिसम्बर, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान, जांच समिति की 16 बैठकें हुई और साइरोज के रूप में 52 मामलों में मान्यता की सिफारिश की गई। इनमें प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों, चिकित्सा विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के मामले सम्मिलित हैं। इन वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों की क्षेत्र-वार सूची **अनुबंध 6** पर दी गई है। 52 मान्यता प्राप्त साइरोज में से 34 साइरोज को सीमा शुल्क और जीएसटी से छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।

1.3.2 साइरोज़ की मान्यता का नवीकरण

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों को दी गई मान्यता की अवधि 1 से 3 वर्षों तक होती है। साइरोज को मान्यता का नवीकरण करने के लिए काफी पहले (मान्यता समाप्त होने की तारीख से तीन महीने पहले) आवेदन करने की सलाह दी जाती है। मान्यता के नवीकरण के लिए प्राप्त ऐसे आवेदनों पर अनुसंधान समीक्षा ग्रुपों (आरआरजी) द्वारा जांच की जाती है, जिसमें अनुसंधान के क्षेत्र के आधार पर, आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर और आईसीएसएसआर के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अनुसंधान समीक्षा ग्रुपों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर साइरोज की मान्यता का नवीकरण किया जाता है। जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान, आरआरजी की 5 बार बैठकें आयोजित की गई और 227 साइरोज की, 31.03.2018 के बाद तक मान्यता के नवीकरण के लिए, संस्तुति की गई। 227 मान्यताप्राप्त साइरोज में से 102 साइरोज को, सीमा शुल्क से छूट और रियायती जीएसटी प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अलावा, जनवरी 2019 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, आरआरजी ने 31.03.2019 से परे मान्यता के नवीकरण पर सिफारिश के लिए 02 बार बैठक की।

इस समय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों की संख्या 687 है। इनमें से 305 प्राकृतिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञानों, 263 चिकित्सा विज्ञानों, 39 कृषि विज्ञानों, 80 समाज-विज्ञानों के क्षेत्रों से है।

इन साइरोज में अर्हता प्राप्त वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए हैं तथा अनुसंधान के लिए अच्छी अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। उन्होंने नई प्रक्रियाएं, कार्य प्रणालियाँ, तकनीकें तथा प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं तथा अनेक पेटेन्ट भी फाइल किए हैं। उन्होंने सेमिनार/संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं तथा अनुसंधान प्रलेख/ रिपोर्ट/पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

1.4 वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

सरकार ने समय-समय पर उद्योग में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक विकास के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास विकल्पों के अधिक उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तथा सहायता उपाय विकसित किए हैं। केंद्रीय बजट में उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास में निवेशों को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इस समय दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों और किए जा रहे सहायता उपायों में शामिल हैं:

अनुसंधान एवं विकास व्यय (पूंजीगत एवं राजस्व) पर आयकर में राहत;

- अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्व विद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (2एए) के अंतर्गत भारित कर कटौती
- जैव-प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में अथवा निर्माण के किसी व्यवसाय अथवा किसी वस्तु अथवा मद के उत्पादन में संलग्न कोई कंपनी, जो सचिव, डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास सुविधा सहित जो आयकर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु अथवा सामग्री नहीं है, के लिए संस्थागत अनुसंधान और विकास व्यय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2एबी) के अंतर्गत भारित कर कटौती:
- अनुमोदित संस्थाओं/ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (साइरोज) द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए आयातित पूंजीगत उपस्करों, अतिरिक्त सहायक उपकरणों और उपभोज्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट
- भेषज और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग के लिए विशिष्ट वस्तुओं (विश्लेषणात्मक और विशिष्ट उपस्कर सहित) पर सीमा शुल्क से छूट
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित संयंत्र और मशीनरी पर त्वरित मूल्य ह्रास भत्ता
- सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए आयातों पर सीमा-शुल्क में छूट।

डीएसआईआर द्वारा कार्यान्वित इन वित्तीय प्रोत्साहनों में से कुछेक पर जानकारी नीचे के पैराग्राफों में दी गई है।

1.4.1 स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर मूल्य ह्रास भत्ता

सचिव, वैज्ञानिक ओर औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह प्रमाणित करने के लिए निर्धारित

प्राधिकारी हैं कि कौन से व्ययों पर आयकर नियमों के नियम 5(2) के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी जानकारी का उपयोग करने वाले उत्पादों के निर्माण के लिए स्थापित संयंत्र और मशीनरी के लिए उच्च दर पर मूल्य ह्रास भत्ता दिया जाना है। ऊपर वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग में, इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है तथा विशेषज्ञों द्वारा संयंत्रों के दावों के सत्यापन के लिए विशेषज्ञों द्वारा दौरे तथा विचार-विमर्श किए गए। विस्तृत परीक्षण के आधार पर, अर्हक व्यय हेतु पात्र मामलों में प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

वर्ष के दौरान, डीएसआईआर द्वारा संयंत्र तथा मशीनरी की लागत पर वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 15.40 करोड़ के व्यय के लिए एक प्रमाण-पत्र जारी किया गया। ब्यौरे अनुबंध-8 पर दिए गए हैं।

1.4.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(3) के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय का संदर्भ

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब कभी यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि क्या कोई सम्पत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जा रही है अथवा प्रयोग की जा रही थी, तो किस सीमा तक, तब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसे मामले को सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग जो ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित प्राधिकारी हैं, की सहमति से मुख्य आयुक्त आयकर (छूट) को भेजेगा।

1.4.3 मान्यताप्राप्त और पंजीकृत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (साइरोज) को सीमा शुल्क से छूट

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा, मान्यताप्राप्त और पंजीकृत सभी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संगठन (अस्पतालों को छोड़कर) उपकरणों/यंत्रों, अतिरिक्त कल-पुर्जों, और उपभोज्य पदार्थों के आयात पर अधिसूचना सं. 51/96-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.1996, सं.24/2007-सीमा शुल्क दिनांक 01.03.2017 और सं. 43/2017 - सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार सीमा शुल्क से छूट पाने के पात्र हैं। विभाग सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए साइरोज को आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करता रहा था। अधिसूचना संख्या 24/2007 दिनांक 1 मार्च, 2007 के अनुसार, संस्थान/ संगठन के निदेशक अथवा प्रमुख को अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हैं।

1.4.4 मान्यता प्राप्त और पंजीकृत साइरोज को रियायती जीएसटी

डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त साइरोज (अस्पतालों के अलावा) कंप्यूटर, उपस्कर, सहायक उपकरण और उनके पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सीडी-रोम, रिकॉर्ड किए गए टेप, माइक्रो फिल्म, माइक्रोफिशेस सहित उपस्करों/ उपकरणों अधिसूचना सं. 45/2017-केंद्रीय कर (दर) और 47/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 14.11.2017; अधिसूचना संख्या 9/2018-केंद्रीय कर (दर), अधिसूचना संख्या 09/2018-संघ क्षेत्र कर (दर) और अधिसूचना संख्या 10/2018-एकीकृत कर (दर) दिनांक 25.01.2018; और राज्य कर (दर) और सभी अधिसूचनाओं जो समय-समय पर संशोधित हैं, के अनुसार यथानुमेय के आयात पर रियायती जीएसटी के लिए पात्र हैं| अधिसूचना के अनुसार सं. 45/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 14.11.2017 से, संस्थान / संगठन के निदेशक या प्रमुख को आवश्यक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है।

1.4.5 मान्यताप्राप्त और पंजीकृत संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाईयों को सीमा शुल्क से छूट और रियायती जीएसटी लाभ

वित्त मंत्रालय ने समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना (सं. 51/96-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996) अधिसूचना सं. 24/2007-सीमा शुल्क दिनांक 1/3/2007 और अधिसूचना सं. 43/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30/06/2017 अधिसूचना सं. 45/2017-केन्द्रीय कर(दर) और 47/2017-समेकित कर(दर) दिनांक 14.11.2017 अधिसूचना सं. 9/2018 - केन्द्रीय कर (दर), अधिसूचना सं. 09/2018 संघशासित प्रदेश कर (दर) और अधिसूचना सं. 10/2018-एकीकृत कर (दर) दिनांक 25.01.2018 और राज्य कर (दर) यथा अनुमेय तथा समय समय पर यथा सेशोधित सभी अधिसूचना सभी अधिसूचनाएं जारी की हैं।

उक्त संशोधनों के अनुसार अस्पतालों के अतिरिक्त, डीएसआईआर मान्यताप्राप्त एवं पंजीकृत सभी संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाईयां अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अपनी अधिप्राप्तियों पर सीमा शुल्क से छूट प्राप्त कर सकती हैं। डीएसआईआर के द्वारा पंजीकृत सभी पात्र संस्थागत आरएंडडी इकाइयों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं।

1.4.6 मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों द्वारा प्राप्त अन्य लाभ

विभाग कई तरह से मान्यता प्राप्त संस्थागत आरएंडडी इकाइयों को सहायता प्रदान करता है, जैसा कि आरएंडडी के लिए विशेष नियंत्रित सामग्री के आवंटन के लिए औद्योगिक

आरएंडडी इकाइयों के मामले में अपेक्षित है, अन्य देशों में बाजार परीक्षण के लिए मध्यम स्तर के उद्योगों द्वारा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित विशेष उत्पादों के निर्यात की अनुमति, और आयातित आर एंड डी उपस्कर/उपकरणों और प्रायोगिक संयंत्र के उत्पाद के निपटान के लिए संबंधित एजेंसियों को उपयुक्त सिफारिशें करना आदि।

1.4.7 सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि का पंजीकरण

डीएसआईआर में एक सरल पंजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर; क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों (अस्पतालों को छोड़कर) अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए उपस्कर, अतिरिक्त पुर्जों और सहायक पुर्जों तथा उपभोज्यों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने के पात्र हैं। डीएसआईआर में विधिवत् पंजीकृत सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान संस्थानों संगठनों के प्रमुख अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 और संशोधन दिनांक 22.07.2017 सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 43/2017 दिनांक 30.06.2017 द्वारा अनसुंधान और विकास से संबंधित वस्तुओं को रियायती सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाणित कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने मुख्य अधिसूचना सं. 51/96-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.20196 में संशोधन किया है।

वर्ष 2004 के केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के साथ-साथ, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 28/2003-उत्पाद दिनांक 1.3.2003 में अधिसूचना संख्या 51/96-उत्पाद द्वारा संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभागों एवं प्रयोगशालाओं (अस्पतालों के अतिरिक्त) को रियायती सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास पंजीकृत कराए जाने की आवश्यकता नही है। वे संस्था के प्रमुख से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अपना माल निकलवा सकते हैं, जो यह सत्यापित करे कि उक्त माल की आवश्यकता केवल अनुसंधान के प्रयोजन के लिए है। अधिसूचना से दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि सीमा शुल्क की रियायती दर से अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं के आयात के लिए डीएसआईआर में पंजीकरण की पात्र संस्थाओं की सूची में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सम्मिलित कर लिया गया है।

भारत की संघ सरकार ने अधिनियम संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016, वस्तु और सेवा कर को लागू करके, संविधान में अपेक्षित संशोधन केन्द्र और राज्यों को शुल्क लगाने और वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) एकत्रित करने का समवर्ती अधिकार देने के लिए बनाया। केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 19.06.2017 द्वारा 22 जून 2017 से केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर नियम, 2017 अधिसूचित किया है। 1 जुलाई 2017 को केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) का लागू होना भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। 01 जुलाई 2017 से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के लागू होने के पश्चात्, वस्तुओं के आयात को अन्तर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा तथा यह अनुमेय सीमा शुल्कों के अतिरिक्त समेकित कर (आईजीएसटी) के अध्यधीन होगा। अद्यतन जानकारी के लिए http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/index पर जाएं।

केन्द्र सरकार ने, अधिसूचना 47/2017-समेकित कर (दर) दिनांक 14.11.2017 और अधिसूचना सं. 45/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14.11.2017, अधिसूचना सं. 45/2017-संघ शासित प्रदेश कर (दर) दिनांक 14.11.2017, समय समय पर यथा संशोधित द्वारा सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएस बैंगलोर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों (अस्पातलों को छोड़कर) को रियायती जीएसटी लाभ प्रदान किए हैं।

सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान संस्थान (पीएफआरआई) के पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवदेन और स्कीमों के विवरण विभाग की वेबसाइट (www.dsir.gov.in) पर उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों के अनुरोधों पर विचार करने के लिए के पूर्ण आवेदनों पर विभाग द्वारा गठित एक अंतर-विभागीय जांच समिति द्वारा विचार किया जाता है। वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष, डीएसआईआर के पूर्व सचिव हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, जांच समिति की दो बैठकें आयोजित की गई और सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान के विभिन्न संस्थानों से प्राप्त 10 आवेदनों पर विचार किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, ऐसे सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान संस्थानों को, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों, अतिरिक्त पुर्जों और आनुषंगिकों, उपभोज्य वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क छूट तथा रियायती जीएसटी का लाभ प्राप्त करने के लिए 12 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। डीएसआईआर में लगभग 570 पीएफआरआई पंजीकृत हैं। अधिसूचना में उल्लिखित सार्वजनिक निधीयत अनुसंधान संस्थान और अन्य संस्थानों का पंजीकरण अधिकतम पांच वर्षों के लिए किया जाता है। पंजीकृत संस्थानों को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण का नवीकरण कराने के लिए पंजीकरण समाप्त होने की तारीख से काफी समय पूर्व आवेदन करें।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 79 संस्थानों के पंजीकरण का नवीकरण किया जाना देय था। विभाग में नवीकरण हेतु

76 आवेदन प्राप्त हुए। इन पर अलग-अलग फाइलों पर कार्रवाई की गई और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया गया और 84 नवीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए।

1.4.8 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(2एबी) के अंतर्गत संस्थागत अनुसंधान और विकास केंद्रों का अनुमोदन

उद्योग में अनुसंधान और विकास की शुरुआत को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त विधेयक 1997 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 में उप-धारा (2एबी) लागू की गई। आरम्भ में यह प्रावधान उद्योग के चुनिंदा क्षेत्रों नामतः औषध, भेषज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, दूर संचार के उपकरण और रसायनों के लिए लागू किया गया था और सचिव, डीएसआईआर, जो विहित प्राधिकारी हैं, द्वारा यथानुमोदित संस्थागत अनुसंधान और विकास सुविधा पर व्यय में 125% की भारित कटौती मुहैया कराई गई। तत्पश्चात्, कई अन्य क्षेत्रों को भी पात्र क्षेत्रों की सूची में जोड़ा गया। वर्ष 2009 से इस लाभ को बढ़ाकर गैर-प्राथमिकता वाली मदों की चयनित सूची सहित उद्योग के सभी क्षेत्रों तक कर दिया गया। मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के बाद के वर्षों में भारित कर कटौती की दर को 125% से बढ़ाकर 150% तक कर दिया गया। 1 अप्रैल, 2010 से भारित कर कटौती की दर को और बढ़ाते हुए 200% कर दिया गया। आरंभ में यह प्रावधान 31 मार्च 2000 तक लागू किया गया था। यह प्रावधान शुरू में 31 मार्च 2005 तक बढ़ाया गया था और बाद में 31 मार्च, 2007 तक तथा और आगे 31 मार्च 2012 तक बढ़ाया गया। संघ सरकार के बजट 2012 में यह प्रावधान 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया। संघ सरकार के बजट 2016 में इन प्रावधानों को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है। भारित कर कटौती की दर को 1 अप्रैल 2017 से 200% से घटाकर 150% कर दिया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयकर विहित फार्म 3 सीएम में 112 कंपनियों को नए अनुमोदन दिए गए। इसके साथ-साथ, अनुमोदित कंपनियों के विस्तृत अनुसंधान और विकास व्यय की भी जांच की गई और आयकर अधिनियम में यथा निर्धारित फार्म 3 सीएल में सीसीआईटी(ई) को 18905.23 करोड़ रुपए के मूल्य की 766 रिपोर्ट भेजी गईं। वर्ष 2018 के दौरान, आयकर अधिनियम की धारा 35(2एबी) के अंतर्गत अनुमोदित कंपनियों की एक सूची **अनुबंध-7** में दी गई है।

(i) संस्थागत अनुसंधान और विकास केंद्रों के अनुमोदन के लिए अद्यतित वित्तीय प्रोत्साहन (एफआई) दिशा निर्देश धारा 35(2एबी) के अंतर्गत रिपोर्ट भेजना :

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने, डीएसआईआर, जो निर्धारित प्राधिकरण है, द्वारा यथाअनुमोदित संस्थागत अनुसंधान और विकास केंद्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान (किसी भूमि अथवा भवन की लागत के रूप में व्यय नहीं) पर किसी वस्तु (ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अलावा) के उत्पादन अथवा निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी के कारोबार में लगी हुई किसी कंपनी द्वारा किए गए व्यय पर भारित कर कटौती के संबंध में आयकर नियम 1962 तथा फार्म 3सीके, 3सीएम और 3सीएल में संशोधन करते हुए दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को एक अधिसूचना संख्या 29/2016 जारी की थी। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, कार्यक्रम प्रभाग ने संस्थागत अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) केंद्रों के अनुमोदन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (एफआई) दिशा-निर्देशों को अद्यतित किया और आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 35(2एबी) के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्ट भेजी गई। सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित संशोधनों को कार्यान्वित करते हुए इन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया।

संशोधित दिशा-निर्देशों में नए फार्म-फार्म 3सीके, 3सीएम, 3सीएल तथा 3सीएलए को बदला गया तथा फार्म 3सीएम में अनुमोदनों की शर्तों, और भारित कर कटौतियों के लिए अनुसंधान व्यय की पात्रता को अद्यतित किया गया।

ये दिशा-निर्देश, सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति और निर्धारित प्राधिकरण के अनुमोदन से अद्यतित किए गए हैं। संशोधित दिशा-निर्देश डीएसआईआर की वैबसाइट में अपलोड किए गए है और उन तक निम्नलिखित लिंक से पहुंचा जा सकता हैः http://www.dsir.gov.in/#files/12plan/bird-crf/FI_G_2016_E.html.

(ii) फॉर्म 3 सीएलए की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की शुरुआत :

सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार, वित्तीय प्रोत्साहन के दिशा-निर्देशों में एक नया फार्म 3सीएलए (संस्थागत वैज्ञानिक आरएंडडी सुविधा से संबंधित एक लेखाकार की रिपोर्ट) लागू किया गया है जिसे विधिवत प्रमाणित किया जाना है और कंपनी के लेखाकार द्वारा सचिव, डीएसआईआर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाना है। विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे गए फॉर्म 3 सीएलए प्राप्त करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वैबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर एक बाह्य अभिकरण के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया है। आयकर ई-फाइलिंग इकाई डीएसआईआर आयकर वैबसाइट लॉग-इन पर कार्यात्मकता के नियोजन पर कार्य कर रही है।

डीएसआईआर का वित्तीय प्रोत्साहन प्रभाग, अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के अंतर्गत कंपनी की अनुमोदित संस्थागत आरएंडडी सुविधा पर किए गए व्यय के मात्रा बताते हुए फॉर्म 3सीएल में रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने के कार्यान्वयन में आयकर ई-फाइलिंग यूनिट की भी सहायता करता है। फॉर्म और रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइलिंग द्वारा पारदर्शिता आ सकेगी और करदाता आवेदक को समय और लागत की बचत होगी।